संख्या : 42/2017/495/छप्पन-2017-81/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2017

विषयः पी0आई0एल0 संख्या-9552/2016 (अजय कुमार मिश्र बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य) तथा पी0आई0एल0 संख्या-55081/2007 (सचिन्द्र उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 50-53/ना0उ0नि0/ए0एफ0-108-12/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ में योजित पी0आई0एल0 संख्या- 9552/2016 अजय कुमार मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा तथा पी0आई0एल0 संख्या-55081/2007 (सचिन्द्र उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 के अनुपालनार्थ जनपद इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए रूपये 43.9674/- करोड. (रूपये तैंतालिस करोड.छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आप अवगत हैं कि इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु 30.3910 हे0 भूमि चिन्हित है। इस भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 25.2.2016 द्वारा रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रूपये 2,03,20,69,896/- (रूपये दो अरब तीन करोड़ बीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छियानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि में से अवमुक्त धनराशि को घटाने के उपरान्त रूपये 86,00,96,010/- (रूपये छियासी करोड़ छियानबे हजार दस मात्र) की धनराशि अवमुक्त हेतु अवशेष है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 42.9674 करोड़ (रूपये बयालिस करोड़ छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 42.9674 करोड़ (रूपये बयालिस करोड़ छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) को निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

-------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-1412(1)/छप्पन-2013-81/13, दिनांक 09.01.2014 में इंगित नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी।

7- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव

संख्याः 42/21017/495(1)/छप्पन-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
(3) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इलाहाबाद।
(7) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 को उनके पत्र सं0ई-7-59/दस-2017, दिनांक 19.04.17 के सन्दर्भ में।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-7
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।